

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

Notification

The 24<sup>th</sup> November, 2004

S.O. 260/H.A.6/2003/S. 59/2004. – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003), and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. Web 18 /H.A.6/2003/S.59/2004, dated the 27<sup>th</sup> October, 2004, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedule B and Schedule C appended to the said Act, namely:-

Amendment

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003),-

(i) in Schedule B, for serial number 2 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely :-

“2. Jowar, Bajra, Maize and flours thereof and Sugarcane”;

(ii) in Schedule C, after serial number 44 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be added at the end, namely:-

- “45 (1) Cutting Tools viz Drills, Taps, Cutters, End Mills, Reamers, Dies, Tool Bits etc. (used in industries for Tapping, Threading, Drilling, Boring, Milling, Turning etc.)
- (2) Carbide Tip, Inserts of Cermets
- (3) Engineering Files, Rasps, Pliers
- (4) Spanners
- (5) Vices, Clamps, Oil Cane
- (6) Die Handle, Hammer Tips
- (7) Hacksaw Blade, Bandsaw Blade and all types of Hand and Power Saws.
- (8) Bonded Abrasives viz Grinding Wheels and the like Bonded Abrasives, Parting wheels, finishing sticks, mounting wheels etc. (for Grinding, Sharpening, Polishing and Cutting)
- (9) Coated Abrasives viz Grinding Discs, Coated Emery Cloth, Waterproof Emery Paper, Emery Belts and Rolls, Emery wheels (made from Natural or Artificial Abrasive Powder or grain)
- (10) Gasket, Steam Jointing Sheets, Industrial Asbestos products like Asbestos cloth, Asbestos Rope.
- (11) Electro mechanical Power Tools and its Spares
- (12) Poly Tetra Fluro Ethane Teflon Tapes, Sheets, Rods
- (13) Conveyor Belts, V Belts, Transmission Belts
- (14) Epoxy Resins
- (15) Epoxy Hardeners
- (16) Cotter Pins, Threaded studs made of Iron and Steel
- (17) Plastic Box strappings

- (18) Anti Rust spray, mould release spray, cutting oil, High Temperature Grease
- (19) Gauges for measuring and checking instruments
- (20) Micrometers and Calipers
- (21) Pneumatic Parts, fittings and accessories for machinery
- (22) Valves, Cocks, Solenoid Valves and Coils etc.
- (23) Magnetic Block, Chucks, Couplings
- (24) Air and Gas Pipes, Tubes, Hoses (for Conveying Air, Gas and Liquid)
- (25) Oil Seals, O Rings, Rubber Gasket
- (26) Pulley Tackle and Industrial Hoists
- (27) Industrial Safety item viz Hand Gloves, Aprons, Leg Guard, Nose Mask, Face Shield, Rubber Fingers, Safety Industrial Helmet, Safety Goggles.”.

L.S.M. SALINS  
Financial Commissioner and Principal Secretary  
to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.

हरियाणा सरकार  
आबकारी तथा कराधान विभाग  
अधिसूचना

दिनांक 24 नवम्बर, 2004

संख्या का0आ0 260/ ह0अ0 6 / 2003/ धा0 59/ 2004.— हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 ( 2003 का अधिनियम 6), की धारा 59 की उप धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 18 /ह0अ0 6/2003/धा0 59 /2004, दिनांक 27 अक्टूबर, 2004, के प्रति निर्देश से हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची ख तथा अनुसूची ग में निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, (2003 का अधिनियम 6) में, —

(i) अनुसूची ख में, क्रम संख्या 2 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

“2. ज्वार, बाजरा, मक्की तथा उनका आटा तथा गन्ना” ;

(ii) अनुसूची ग में, क्रम संख्या 44 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, अंत में, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ दी जायेंगी, अर्थात्:-

- “45 (1) कटिंग टूल्स जैसे कि ड्रिलज़, टैप्स, कटरज़, एंड मिल्स, रीमरज़, डाईज़, टूल बिट्स आदि (उद्योगों में टैप्पिंग, थ्रैडिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, मिलिंग, टर्निंग आदि में प्रयोग हेतु)
- (2) कारबाईड टिप, सरमैटज़ के इन्सर्टज़
  - (3) इंजीनियरिंग फाईलस, रैस्प्स, प्लायरस
  - (4) स्पैनर्ज़
  - (5) वाईसिस, कलैम्पस, ऑयल केन
  - (6) डाई हैण्डल, हैमर टिप्स
  - (7) हैक्सा ब्लेड, बैन्डसा ब्लेड तथा सभी प्रकार के हाथ तथा बिजली की आरियां
  - (8) बॉण्डेड अब्रेसिवज़ जैसे कि ग्राईडिंग व्हीलज़ तथा उस प्रकार के बॉण्डेड अब्रेसिवज़, पार्टिंग व्हीलज़, फिनिशिंग स्टिक्स, मॉउनटिंग व्हीलज़ आदि (ग्राईडिंग, शार्पनिंग, पोलिशिंग और कटिंग हेतु)
  - (9) कोटेड अब्रेसिवज़ जैसे कि ग्राईडिंग डिस्क़्स, कोटेड एमरी कलॉथ, वॉटरप्रूफ एमरी पेपर, एमरी बैल्ट्स तथा रौलस, एमरी व्हीलज़ (प्राकृतिक या कृत्रिम अब्रेसिव पॉउडर या ग्रेन से बनी)
  - (10) गास्क़ेट, स्टीम ज्वाईटिंग शीट्स, एसबेसटॉस कपड़ा, एसबेसटॉस रस्सी जैसे औद्योगिक एसबेसटॉस उत्पाद
  - (11) इलेक्ट्रो मैकैनिकल पावर टूल्ज़ तथा इसके स्पेयर्ज़
  - (12) पोली टैटरा फलुरो इथेन टैफ्लोन टेप्स, शीट्स, रॉड्स
  - (13) कनवेयर बैल्ट्स, वी बैल्ट्स, ट्रॉसमिशन बैल्ट्स

- (14) इपोक्सी रैजिंस
- (15) इपोक्सी हार्डनर्ज
- (16) कौटर पिस, लोहे तथा स्टील से बने थ्रैडिड सटड्ज
- (17) प्लास्टिक बॉक्स स्ट्रैपिंगज
- (18) एंटी रस्ट स्प्रे, मोल्ड रिलीज स्प्रे, कटिंग ऑयल, हाई टैम्प्रेचर ग्रीस
- (19) नापने के गैजिज तथा चैकिंग इन्सटरूमैन्टस
- (20) माईक्रोमीटरज तथा केलीपर्ज
- (21) मशीनरी के लिए न्यूमैटिक पार्टस, फिटिंगज तथा एक्ससरीज
- (22) वाल्वस, कॉकस, सोलिनौयड वाल्वस तथा कॉयल्स आदि
- (23) मैग्नेटिक ब्लॉक, चक्स, कपलिंगज
- (24) हवा तथा गैस पाईप्स, टयूबज, होजिज (हवा, गैस तथा तरल पास करने के लिए)
- (25) ऑयल सील्स, ओ रिंगस, रबर गास्केट
- (26) पुलि टैकल तथा इंडस्ट्रीयल हौएसट्स
- (27) इंडस्ट्रीयल सेफ्टी आईटम्ज जैसे कि हाथ के दस्ताने, एपरन्स, लेग गार्ड, नाक की मास्क, चेहरे की शील्ड, रबर की उँगलियां, सेफ्टी इंडस्ट्रीयल हेलमिट, सेफ्टी गॉगल्स ।” ।

एल.एस.एम. सालिन्स  
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग ।